संख्या:सीएम-306/छः-पु-सीएम-306/98

प्रेषक,

श्री एन0रविशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस) अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 2 जुलाई, 1998

विषयः पी0आरडी के जवानों प्राथमिकता के आधार पर असलहों का जारी किया जाना।

महोदय,

शासनादेश संख्या 1984 आर/छः-पु-5-6-678/96, दिनांक 3 जून 1998 के द्वारा व्यक्तिगत लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के संबंध में अतिरिक्त नीति निर्देश दिये गये है। इस शासनादेश के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शासकीय अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रकृति के कारण आग्नेयास्त्र की आवश्यकता हो, को लाइसेंसिग प्राधिकारी द्वारा समुचित प्रक्रिया उपरान्त लाइसेंस जारी करने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। पी0आर0डी0 के जवानों द्वारा यदि शस्त्र लाइसेंसों के लिये आवदेन किया जाता है तो उनके मामलों पर उपरोक्तानुसार प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही सम्पन्न की जाये।

भवदीय,

(एन0रविशंकर)
सचिव गृह।

संख्या सीएम-306(1)आर /छः पु-5-तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

आज्ञा से,
(अतुल कुमार)
संयुक्त सचिव